न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गेलड़ा (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 66/2015
दायर दिनांक : 09/09/2015
निर्णय दिनांक : 06/05/2024

उनवान

1. रामलाल पिता भैरा मीणा निवासी लिमड़ी तहसील मावली हाल मुकाम कानाखेड़ा तह. भूपालसागर

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, भूपालसागर

प्रतिवादी

राजस्व वाद अंतर्गत धारा–80 (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थितिः– 1. श्री सुरेश बाफना

: निर्णय :

उक्त उनवान का वाद माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ के निर्णय 07.01.2013 से प्रतिप्रेषित होकर प्राप्त होने से पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया।

वकील वादी की ओर से एक वादपत्र बाबत् इंद्राज दूरूस्ती अंर्तगत धारा–80 (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का पेश किया । जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है :

यह है कि मौजा कानाखेड़ा के हल्के बैरूनी में आ.सं. 761/2 रकबा 5 बीघा तथा आ.सं. 784/2 रकबा 3 बीघा कुल किता 2 रकबा 8 बीघा मुझ वादी के पिता भैरा पिता चैना मीणा को आवंटित हुई और मौके पर पटवारी हल्का ने उक्त 8 बीघा पर कब्जा सुपुर्द कर दिया तत्पश्चात दिनांक 07.02.83 को कब्जे के आधार पर तहसील के आदो से उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया और इन्तकाल जारी कर उक्त जमीन मुझ वादी के पिता भैरा पिता चैना मीणा के नाम से खातेदारी अधिकार से दर्ज की और मावे पर आवंटन के समय से ही मेरे पिता व मेरा कब्जा चला आ रहा है। यह कि मेरे पिता की मृत्यु दिनांक 05.03.1993 को जिसे लगभग 15 वर्ष हो गये है और इस जमीन पर उनके बाद से काबिज चला हा रहा हूं और चारों तरफ डोल लगा रखी है, मौके पर कब्जा है और अभी मैने ट्रेक्टर से हंकाई कराई किन्तु यह जमीन कुल 8 बीघा है या नहीं मेरी जानकारी में नहीं किन्तु मौके पर कब्जे के मुतलिक नपती पत्थरगढी बाद में कराउगां। खाता सं. 183 से उक्त आराजी नं. 761/2, 784/2 कुल किता 2 रकबा 8 बीघा दिनांक 18.03.1985 को गैर खातेदारी से खातेदारी में मेर पिता के नाम पर दर्ज होकर 5 रूपया 60 पैसे लगान निर्धारित किया गया मेरे पिता के समय से ही मैं काबिज काश्त चला हा रहा हूं। यह कि उक्त 761 मीन में से 761/2 रकबा 5 बीघा के वर्तमान नंबर 1291 तथा 784/2 के वर्तमान नंबर 1237 जो बिलानाम दर्ज हो गई जबकि यह जमीन हमारे खातेदारी की है और मोके पर कब्जा है और रेवेन्यू रिकार्ड में बिलानाम दर्ज होने से कभी भी विवाद पैदा हो सकता है जिससे उक्त रिकार्ड दुरूस्त कराया जाना आवश्यक है। मेरे पिता का आवंटितशुदा आ.स. 761/2 तथा 784/2 कुल 8 बीघा जमीन मेरे पिता की मृत्यु हो जाने से मेरे नाम पर दर्ज होनी चाहिए तथा वर्तमान नंबर बिलानाम से हटायी जाकर मेरे खातेदारी मे दर्ज की जानी चाहिये मौके पर मेरा कब्जा है और लगान मैं अदा करता हूं।

यह कि पूर्व खाते की नकल वर्तमान खाते की नकल व मिलान खसरा व पटवार हल्का की नकल साथ संलग्न है। उक्त जमीन मेरे खातेदारी में दर्ज नहीं होने से आये दिन विवाद होता रहता है और लगान अदा करने में दिक्कत रहती है एवं बैंक लोन में भी असुविधा रहती है जिससे उक्त जमीन मेरे नाम पर दर्ज

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर

कराना आवश्यक है। यह कि मालियत वाद 10,000/ अक्षरे दस हजार रूपया कायम करता हू जो आवश्यक कोर्ट फीस पर मय सम्मन एवं प्रोसेस के इस न्यायालय के श्रवणाधिकार का होने से अन्दर अवधि प्रस्तुत है ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत है। यह कि वाद राज सरकार के खिलाफ प्रस्तुत है जिसमें 80 जा.दी. का नोटिस दिया जाना आवश्यक है किन्तु वाद अति आवश्यक प्रकृति का होने से 80 (2) जा.दी. के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत है वादी की प्रार्थना है कि – मौजा कानाखेड़ा की आ.सं. 761/2 रकबा 5 बीघा तथा 784/2 रकबा 3 बीघा मेरे पिता भैरा पिता वेणा मीणा के नाम की आराजी जो मेरे कब्जे काश्त में है और जिसके वर्तमान नंबर 1240, 1237 है बिलानाम से हटाई जाकर मुझ वादी रामलाल पिता भैरा मीणा के नाम पर खातेदारी से दर्ज किये जाने की डिक्री बहक वादी खिलाफ प्रतिवादी सादर फरमाई जावे।

प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गये। पैरोकार सरकार के निवेदन अनुसार मौका रिपोर्ट प्राप्त कर तनकी कायम की गई। दिनांक 21.06.21 को वकील वादी के निवेदन साक्ष्य पेश नहीं कर पूर्व की साक्ष्य को ही रखा जाने के निवेदन अनुसार साक्ष्य ब्रद की गई। पैरोकार सरकार द्वारा साक्ष्य पेश नहीं करना चाहने से दिनांक 17.05.2022 को साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गई।

1. आया वादी वादग्रस्त आराजियात ग्राम कानाखेड़ा के आ.सं. 761/2 रकबा 5 बीघा व आ.सं. 784/2 रकबा 3 बीघा भूमि में वर्तमान मौका स्थिति अनुसार वादी का कब्जा काश्त है ? वादी ने साक्ष्य सबूतों के आधार पर उक्त आराजियात पर अपना कब्जा साबित किया है ? वादी की भूमि भू प्रबंध अधिकारियों द्वारा बिना किसी अधिकार के खातेदारी से विलोपित कर दी गई, जिसे वादी इन्द्राज दुरूस्ती करा कर अपने नाम करवाने का अधिकारी है? ..... जिम्मे वादी

2. अनुतोष

तनकी संख्या 1

इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर है। वादी उक्त तनकी को साबित करा पाने में असमर्थ रहा है। रिपोर्ट तहसीलदार, भूपालसागर दिनांक 12.07.2022 वर्तमान आराजी नंबर 1219 व 1237 रकबा 0.07 व 6.93 है. बिलानाम भूमि पर रामलाल पिता भैरा मीणा का कोई कब्जा नहीं होना पाया गया है। संलग्न मौका पर्चा दिनांक 28.06.2022 अनुसार आ.सं. 1219 व 1237 पर रामलाल पिता भैरा मीणा का कोई कब्जा नहीं है तथा मौतबिरान ने जाहिर किया कि मौके पर भूमि पड़त होकर मीणा जाति का किसी भी व्यक्ति का कब्जा नहीं रहा है, भूमि पड़त होकर ग्राम के पशु चराई के उपयोग में आ रही है। यह तनकी वादी के खिलाफ निर्णित की जाती है।

हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली में वर्णित तथ्यों एवं उपलब्ध साक्ष्य सामग्री दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। वादीगण के शपथ–पत्र, अन्य दस्तावेजों एवं साक्ष्यों के शपथ–पत्र व वकील वादी एवं पैरोकार सरकार तहसीलदार भूपालसागर की बहस/रिपोर्ट के आधार पर वादीगण का वाद अर्तगत धारा–80 (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाता है। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.05.2024 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(पुनीत कुमार गेलड़ा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
भूपालसागर